कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024 **दिनांक 18/10/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 17.10.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम द्वारा मर्चेन्ट नेवी में नौकरी के नाम पर फर्जीवाडा कर परीक्षा कराने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 17.10.2024 को अल्टरनेट स्कूल सीबीएससी बोर्ड गोरा बाजार थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर मे NORTH INDIA MARINE ACADEMY AND MANAGEMENT SERVICES PVT LTD 2ND FLOOR NEAR BAHADURGARH CITY METRO STATION, PILLOR NO 839, ABOVE PUNJAB NATIONAL BANK BAHADURGARH 124507, द्वारा छात्रो को मर्चेन्ट नेवी मे नौकरी का लालच दिलाकर फर्जी रुप से परीक्षा आयोजित कर फर्जी प्रशिक्षण दिलाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छात्रो को नौकरी दिलाने के नाम पर SEAFARERS ENTRANCE ELIGIBILITY TEST 2024-25 का फर्जी परीक्षा सम्पादित कराने वाले अभियुक्तगण 1. वार्डेन दिनेश जाट पुत्र रामराज जाट निवासी बडल्ला थाना बारामील सराना जिला अजमेर 2. वार्डेन संचिन बगडिया पुत्र महेन्द्र बगडिया निवासी ग्राम पालडी थाना बालारा जिला सीकर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया एवंम इनके कब्जे से छात्रो को निर्गत प्रवेश पत्र एवं उत्तर पुस्तिका को बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 539/2024 धारा 319(2)/ 318(4)/ 338/ 336(3)/340 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता -

1.दिनेश जाट पुत्र रामराज जाट निवासी बडल्ला थाना बारामील सराना जिला अजमेर उम्र करीब 23 वर्ष

2.संचिन बगडिया पुत्र महेन्द्र बगडिया निवासी ग्राम पालडि थाना बालारा जिला सीकर राजस्थान उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1.एक बण्डल उत्तर पुस्तिका

2.एक बण्डल प्रवेश पत्र

3.एक पारदर्शी डिब्बे मे मुहर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

1.मु0 अ0 सं0 539/2024 319(2)/318(4)/338/336(3)/340 बीएनएस कोतवाली गाजीपुर

02. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मुकदमें में 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 40000/-रू0 अर्थदण्ड की दी गयी सजा ’

दिनांक 17.10.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 274/2019 धारा 302,34,120बी भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त विशाल मिश्रा उर्फ अभिनव पुत्र विष्णु शंकर नि0 रानीपुर महमूरगंज जनपद वाराणसी के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 302 भदावि में आजीवन कारावास व 40000/-रू0 अर्थदण्ड की दी गयी सजा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर